राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/1/22	651/2019 रामलाल / घासीराम	

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी ने दिनांक 25/01/2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये निवेदन किया कि विचाराधीन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 उनवानी घासीराम बनाम रामलाल बाबत प्रार्थना पत्र एकतरफा निर्णय एवं डिक्री किये जाने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 39/2019 में पारित आदेश दिनांक 29/11/2019 के विरुद्द प्रस्तुत की गयी है एवं रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24/12/2020 को ख़ारिज कर दिया गया है ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन एवं उसमे पारित आदेश दिनांक 29/11/2019 स्वत: ख़ारिज हो जाते है ऐसे में अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/11/2019 ख़ारिज किया जाना आवश्यक है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 29/11/2019 ख़ारिज फरमाया जावे |

हमने अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी संख्या 38/2019 में पारित आदेश दिनांक 24/12/2020 का अवलोकन किया | जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी का यह तथ्य उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का निर्णय हो जाने से उसमे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन स्वत: ही प्रभावहीन हो जाता है | जिसके सन्दर्भ में अंकन अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना होता है | अत: अपीलार्थी द्वारा इस अपील के माध्यम से उक्त आदेश को ख़ारिज फरमाते हुये अपील को स्वीकार किये जाने का चाहा गया अनुतोष इस अपील के माध्यम से प्रदान किया जाना विधि अनुसार उचित प्रतीत नही होता है | चूँकि अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 39/2019 जो आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 में प्रस्तुत किया गया था एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 का दिनांक 24/12/2020 को निरस्त कर दिया गया है ऐसी स्थिति में यह अपील स्वत: ही सारहीन हो जाती है अत: अपील सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर